

FORM-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

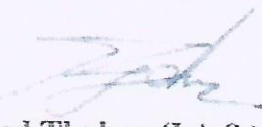
Dated 12th Dec 2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05th February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.699 hectare + 0.620 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of H.P.P.W.D. for the construction road Vijaypur Chounta to Tingu & Link road Kasol to Balh in Bilaspur district falls within the jurisdiction of Morsinghi, Blah & Amarpur village in Ghumarwin Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.699 hectare + 0.620 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure I to Annexure V;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.


Rugved Thakur (I.A.S.)
Dputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.

Office of the Deputy Commissioner
District Bilaspur (Himachal Pradesh)

FRA Certificate (Under FRA 2006) to be issued By District Level Committee.

Proceedings of the meeting of District level Committee constituted under Scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Bilaspur constituted under FRA 2006 was held under the Chairpersonship of Sh. Rugved Thakur (I.A.S.) Deputy Commissioner, Bilaspur on 12-10-2017 at 12-00 A.N. at Bilaspur in which the following application was discussed and approved in view of recommendations made by the Sub Divisional Level Committee of Sadar & Ghumarwin Sub Division.

Sr.No.	Total Land	Purpose.
1.	0.450 & 0.120 Hect.	Diversion of Link road to Vill. Lower Talwara & Link road Niun Salwan Ladda.
2.	0.699+0.620 Hect.	Diversion of road Bhager Vijaypur Chounta to Tingu & Link road Kasol to Balh.
3.	2.76+2.862 Hect.	Diversion of Doon Sohani Devi Karyalag road & Mohara Sunali Galliyan.
4.	0.71.82+0.07.52 Hect.	Diversion of road Balghar to Kurjain & Rohal to Jeoura via Lehar road.
5.	1500 Sq. Decimeter	Diversion of New Building <i>Police</i> <i>Post</i> , Sri Naina Devi Ji.

1. Amarjeet Singh Bangga,
Zila Parishad. (Member)

2. Pushpa Kumari,
Zila Parishad. (Member)

3. Meena Devi,
Zila Parishad. (Member)

4. Saroj Bhai Patel, D.F.O.,
Distt. Bilaspur(H.P)
(Member)

5. Vinay Kumar,
Additional District Magistrate,
Bilaspur, H.P. (Member Secretary)

6. Rugved Thakur (I.A.S.)
Deputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.
(Chairperson)



58

27-6-17

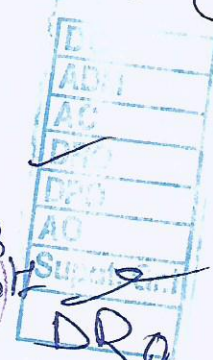
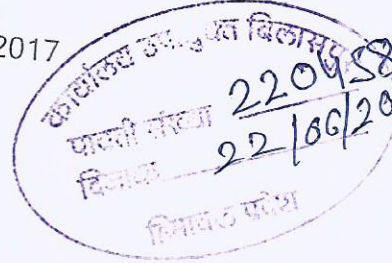
106 (3) 25

संख्या- जीएमआर-पेशी-एफआरए-2017-4462

कार्यालय उप-मण्डल अधिकारी (ना0)

घुमारवीं, जिला बिलासपुर हि0 प्र0

दिनांक 15/06/2017



सेवा में,

उपायुक्त महोदय,

बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0

विषय

Issue of N.O.C. under Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act (FRA), 2006.

महोदय,

ADDA

DRD

98-6-2017

3566
24-6-2017

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय पत्र संख्या: बी0एल0एस0-एडीआरए-1(855)/2016-18091 दिनांक 12-04-2017 के सन्दर्भ में निवेदन है कि उक्त पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों को पूर्ण करने के उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता घुमारवीं से प्रकरण वापिस प्राप्त हुआ है, मूलरूप में मय अनुलग्नकों सहित आगामी कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित है।

संलग्न : 43वर्क

भवदीय,

उप-मण्डल अधिकारी (ना0)

घुमारवीं, जिला बिलासपुर हि0 प्र0

दिनांक

पृष्ठांकन संख्या यथोपरि-
प्रतिलिपी-

अधिशाषी अभियन्ता घुमारवीं मण्डल हि0प्र0लो0नि0वि0 घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 को उनके पत्र संख्या लो0नि0घु0पत्र0शा0कार्य सहायक/फोरेस्ट केस/2016-3158-61 दिनांक 05-06-2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

उप-मण्डल अधिकारी (ना0)

घुमारवीं, जिला बिलासपुर हि0 प्र0

150

D

OFFICE OF THE SDO CIVIL, Ghumarwin
DISTRICT Bilaspur (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006 .

A meeting of the Sub-Division level Committee of Ghumarwin Sub- Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship /chairpersonship of Mr/Ms. Aditya Negi (I.A.S) SDO(Civil) Ghumarwin 04/03/17 at 11:00 AM/PM at Ghumarwin (Place) in which the application(s) claiming rights in 0.699 Hect + 0.620 Hect forest areas under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee (s) of Bhager Vijaypur Chaurda to Tingru & Link road Kural to Bala Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application :-

<u>Name of Applicant</u>	<u>Decision (Recommended/not Recommended)</u>
1. Executive Engineer Ghumarwin	
2. Division H.P.P. W.D. Ghumarwin	
3. Assistant Engineer Beri Sub-Div	
H.P. PWD Beri	
Place: <u>Ghumarwin</u>	
Date : <u>04-03-2017</u>	
	<u>SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson</u> <u>Sub-Division level Committee,</u> <u>Ghumarwin Sub-Division.</u>

निवाही ग्राम सभा

मोरशिंदी

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

मोरशिंदी

प्रतिलिपि प्रस्ताव

संख्या 1/20/107/2016

दिनांक 20/10/2016

ग्राम सभा

मोरशिंदी

की बैठक आज

दिनांक 20/10/2016 को 11-00

बजे, स्थान

मोरशिंदी

में

प्रीमति

जगदीश ठाकुर

की अध्यक्षता में की गई जिसमें

गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पनयाला/मशीहल जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें

कसील से बल्लू सड़क

के निर्माण के लिए

0.620

हैक्टेयर वन भूमि के

उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रमांक	पात्र गांववासी का नाम	गांव का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1.	अमर सिंह 5/0 नथू राम	कसीलह	प्रयत्न वन अधिकार समिति
2.	इश्वर सिंह	—do—	शक्ति वन अधिकार समिति
3.	मैहर सिंह 5/0 मुलाब राम	—do—	शक्ति वन अधिकार समिति
4.	श्रीहन सिंह 5/0 किष्पा राम	—do—	प्रयत्न वन अधिकार समिति

बैठक

में

वन

अधिकार

समिति

द्वारा

सड़क निर्माण

(उद्देश्य) के लिए

हि० प्र० ली० वि०

(विभाग) के पक्ष में

दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के ऊपर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव

पारित किया गया कि राजस्व गांव कसीलह/382 में भूमि खसरा नम्बर

432/208,

रकबा

0.620

हैक्टेयर को

सड़क निर्माण

(उद्देश्य) के

425/197

लिए हस्तान्तरण करने पर इस ग्राम सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि उक्त गांव में अनुसूचित

जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत

कोई मामला लम्बित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है।

स्थान मोरशिंदी

दिनांक 20/10/2016

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

दिनांक 23/10/2017

सचिव

मोहम्मद मोरशिंदी

विकास खण्ड घुमारवीं

जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

सचिव

मोहम्मद मोरशिंदी

विकास खण्ड घुमारवीं

जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।
आज दिनांक 20/10/2016 को वन अधिकार समिति ग्राम बल्ह
का अध्यक्ष श्री / श्रीमति अमरेश्वर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई
निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे:-

क्र.	नाम व पिता/पति का नाम	पद नाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
1.	Amr Singh	प्रधान	बल्ह	राजपूत	Amr Singh
2.	Prabhu Singh	सचिव	बल्ह	राजपूत	Prabhu Singh
3.	Suman	सदस्य	बल्ह	ब्राह्मण	Suman
4.	Meher Singh	"	"	राजपूत	Meher Singh
5.	Sohan Singh	"	"	"	Sohan Singh
6.	लाला देवी	"	बल्ह	"	लाला देवी
7.	बिमला देवी	"	"	"	बिमला देवी
8.	अन्या देवी	"	मसिहान	"	अन्या देवी
9.	रेश्मा कुमारी	"	बल्ह	राजपूत	रेश्मा
10.	वसु देवी	"	"	"	वसु देवी

वन अधिकार समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी/कानूनगो श्री मन्त राम
तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री रविन्द्र कुमार के साथ भूमि खसरा नम्बर
432/208, 424/197 रक्बा 0.620 Hect. जिसके सन्दर्भ में

शुद्ध निर्माण (उद्देश्य) के लिए अनापति प्रमाण पत्र (विभाग का नाम)

हि० प्र० ली० नि० वि० ने वाहा है का मौका पर निरीक्षण व्यक्तिगत तौर पर किया व
अन्य छानबीन निम्न प्रकार से की गई:-

1. उक्त भूमि का नक्शा / ततीमा पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के समक्ष बनाया ।
2. उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावे मांगे तथा किसी प्रकार का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ ।
3. उक्त भूमि पर गद्दी गुज्जर या अन्य घुमन्तु समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के समक्ष पेश ना हुआ तथा समिति मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है ।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उद्देश्य) शुद्ध निर्माण हेतु
समझने उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम बल्ह के अंतर्गत
उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

शुद्ध निर्माण के निर्माण के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि की
अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है । यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता
अधिनियम 2006 के अंतर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की
जाती है । प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है । प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप
कार्यवाही के अनुरूप है ।

प्रधान, Amr Singh
वन अधिकार समिति

सचिव, Prabhu Singh
वन अधिकार समिति

पटवारी, Manoj Kumar
पटवार वृत्त बल्ह

वन रक्षक, Beet
वृत्त

गिरा और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 20/10/2016

ग्राम सभा

मीरपुरी

की बैठक आज दिनांक 20/10/2016 को 11-00 बजे, स्थान

मीरपुरी

में श्री/श्रीमति जगदीश ठाकुर

की अध्यक्षता में की गई जिसमें मीरपुरी

गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कसीहन

जंगल/ वन क्षेत्र में (उद्देश्य) एक निजी जमीन के निर्माण के लिए

0.620 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार

समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

फ0 सं0	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा

गिरा यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

प्रस्ताव में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

फ0 सं0	पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार कसीहन जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान मीरपुरी

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक

ग्राम सभा

प्रधान मीरपुरी
वन अधिकार समिति

समिति
वन अधिकार समिति

हस्ताक्षर
दिनांक

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

चित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की अधिनियम, 2006)

ग्राम संख्या नं. 1 ग्राम सभा मौरखिया की बैठक आज दिनांक 20/10/2016 प्रतिलिपि प्रस्ताव मौरखिया दिनांक 20/10/2016

ग्राम सभा मौरखिया की बैठक आज दिनांक 20/10/16 को मौरखिया बजे, स्थान मौरखिया में श्रीमती जगदीश डायर की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/ वन क्षेत्र में (जिसमें हि.प्र.जी.सी. विभाग द्वारा कसीडन सी अरु ग्राम के निर्माण के लिए 0.620 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1.	<u>अमर सिंह</u>		<u>वन अधिकारी यके मौरखिया</u>
2.	<u>इन्दर सिंह</u>		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1.	
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान मौरखिया
दिनांक 20/10/2016

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता
ग्राम सभा

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्राजैक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अमर सिंह
वन अधिकार समिति

सांचक अमर सिंह
वन अधिकार समिति
मौरखिया
जिलासपुर (हि.प्र.)